(61)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 071/2014
रज्जु दिनांकः 28/11/2014
निर्णय दिनांक : 05/07/2017

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला- जयपुर

लादू वगै0 बनाम कल्याण वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी का इस आशय का पेश किया कि उनवानी वाद बाबत खसरा नम्बर 195, 206, 203, 224, 232, 240 व 149, 150 बाबत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1992 डिक्री हुआ था जिसकी अपील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई थी। जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कि जा चुकी है। तथा उसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत उसे भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.02.2000 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। लेकिन वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की पालना नही करवाई गई बल्कि राजस्व रिकार्ड में सहायक जिलाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया एवं काफी भूमि को खुर्द-दुर्द कर दिया तथा माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयों की अवहेलना की है। तथा पत्रावली को दूदू न्यायालय से तलब कर दावा दायरी की स्थिति रेस्टोर करवाये जावें इस आशय की तहरीर तहसीलदार जी फागी एवं उप तहसीलदारजी माधोराजपुरा को भिजवाये। जिससे पारीत निर्णय एवं डिक्री जो निरस्त हुये है। उसकी पूर्ववृती स्थिति कायम हो सके एवं माननीय न्यायालय के आदेशो की पालना हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णयों की पालना करने के निर्देश तहसीलदार फागी एवं नायब तहसीलदार माधोराजपुरा को निर्देशित कर पालना करवाये एवं दावा दायरी की स्थिति रिस्टोर करवाये जाने के निर्देश देवे साथ ही दूदू न्यायालय से पत्रावली तलब करवाये जाने के निर्देश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगणा की तलबी जारी की गयी। न्यायालय दूदू से पूर्व में निर्णत पत्रावली मु0नं0 164/1991 उनवान लादू बनाम कल्याण मंगवाये जाने के लिए तहरीर जारी की। जो पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 23.04.2015 को प्राप्त हुई। जो प्रार्थना पत्र 144 सी0पी0सी के साथ संलग्न की गयी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो निम्न है :-

जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज इबारत उनवानी वाद खसरा नम्बर 195, 206, 203, 224, 232, 240, 149, 150 बाबत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1992 को डिक्री होना सही है, शेष कथन अस्वीकार है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण/प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। उक्त निर्णय व डिक्री अन्तिम निर्णय नही है बल्कि पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14.02.2000 को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना बताया है तो प्रार्थी दिनांक 14.02.2000 से लेकर आज तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है एवं नही उक्त पत्रावली को न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है बल्कि पत्रावली सुनवाई हेतु विचाराधीन नही है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को रेस्टोरेशन करवाने के लिऐ उपबाधित नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। उक्त प्रकरण की वाद के सभी पक्षकारान को नोटिस तामील करवाकर विधिवत सुनवाई किया जाना न्यायाचित है उक्त प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है। अप्रार्थी ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया कि उक्त आराजी वर्तमान में फर्द मौका ग्राम चान्दमा खुर्द एवं संलग्न दस्तावेजानुसार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त प्रकरण में बिना पत्रावली दर्ज किये उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है। उक्त पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु सहायक जिलाधीश को प्रेषित दिनांक 14.02.2000 को की गई लेकिन वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई बल्कि उक्त पत्रावली आज तक विधिवत रेस्टोरेशन नही हुई, नही आज विचाराधीन है बल्कि उक्त निर्णय की सुनवाई हेतु अप्रार्थीगण को कोई न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी नही हुए है इसलिए उक्त आराजी अन्य काश्तकारों के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है एवं उक्त आराजी के विक्रय पत्र पंजीबद्व होकर विधिवत नामान्तकरण खुल चुके है एवं वाद के पक्षकारान में से कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण भी खुल चुके है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2015 के अनुसार प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है सभी खातेदारो को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। उक्त वाद के पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी है एवं विरासतन के नामान्तकरण खुल चुके है जिसकी प्रार्थी/प्रतिवादी को पूर्ण जानकारी रही है प्रकरण में इनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया है मृतक व्यक्तियों के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही चलने योग्य नही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2000 की पालना बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के अनुसार काल बाधित हो चुका है। उक्त निर्णय मियाद बाहर हो चुका है जिसकी पालना मान्य न्यायालय द्वारा नही करवाई जा सकती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से प्रथम स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर हर्जा खर्चा अप्रार्थी को दिलवाया जायें।

पत्रावली में हल्का पटवारी द्वारा वास्ते रिपोर्ट मंगवाये जाने के लिए तहरीर जारी की गयी। हल्का पटवारी द्वारा वास्ते रिपोर्ट न्यायालय हाजा को दिनांक 10.03.2016 को प्राप्त हो चुकी है। जिसमें पारीत निर्णय एवं डिक्री की पालना की जा चुकी है। लेकिन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा डिक्री खारिज हो चुकी है। तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का मुख्य आधार यह है कि धारा 144 सी0पी0सी का मुख्य आधार यह है कि निर्णय एवं डिक्री निरस्त हो चुकी है, तो जो स्थिति वाद दायरे के समय थी। उसी स्थिति को रिस्टोर करने के लिए न्यायालय बाधीत है। तथा प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र का लम्बित होने से खारिज किया जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी का इस आशय का पेश किया कि उनवानी वाद बाबत खसरा नम्बर 195, 206, 203, 224, 232, 240 व 149, 150 बाबत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1992 डिक्री हुआ था जिसकी अपील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई थी। जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कि जा चुकी है। तथा उसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत उसे भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.02.2000 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। लेकिन वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की पालना नही करवाई गई बल्कि राजस्व रिकार्ड में सहायक जिलाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया एवं काफी भूमि को खुर्द–दुर्द कर दिया तथा माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयों की अवहेलना की है। तथा पत्रावली को दूदू न्यायालय से तलब कर दावा दायरी की स्थिति रेस्टोर करवाये जावें इस आशय की तहरीर तहसीलदार जी फागी एवं उप तहसीलदारजी माधोराजपुरा को भिजवाये। जिससे पारीत निर्णय एवं डिक्री जो निरस्त हुये है। उसकी पूर्ववृती स्थिति कायम हो सके एवं माननीय न्यायालय के आदेशो की पालना हो सके।

अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया कि निर्णय व डिक्री अन्तिम निर्णय नही है बल्कि पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14.02.2000 को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना बताया है तो प्रार्थी दिनांक 14.02.2000 से लेकर आज तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है एवं नही उक्त पत्रावली को न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है बल्कि पत्रावली सुनवाई हेतु विचाराधीन नही है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को रेस्टोरेशन करवाने के लिऐ उपबाधित नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। उक्त प्रकरण की वाद के सभी पक्षकारान को नोटिस तामील करवाकर विधिवत सुनवाई किया जाना न्यायाचित है उक्त प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नही है। अप्रार्थी ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया कि उक्त आराजी वर्तमान में फर्द मौका ग्राम चान्दमा खुर्द एवं संलग्न दस्तावेजानुसार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त प्रकरण में बिना पत्रावली दर्ज किये उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है। उक्त पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु सहायक जिलाधीश को प्रेषित दिनांक 14.02.2000 को की गई लेकिन वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई बल्कि उक्त पत्रावली आज तक विधिवत रेस्टोरेशन नही हुई, नही आज विचाराधीन है बल्कि उक्त निर्णय की सुनवाई हेतु अप्रार्थीगण को कोई न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस जारी नही हुए है इसलिए उक्त आराजी अन्य काश्तकारों के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है एवं उक्त आराजी के विक्रय पत्र पंजीबद्व होकर विधिवत नामान्तकरण खुल चुके है एवं वाद के पक्षकारान में से कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण भी खुल चुके है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2015 के अनुसार प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है सभी खातेदारो को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालयों द्वारा पारीत निर्णयो का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू द्वारा पारीत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.1992 निरस्त हो चुकी है। अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्णय दिनांक 14.02.2000 के संबंध में तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह रिकार्ड अवलोकन कर वारिसान की जांच कर समुचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें एवं अधिवक्ता पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय 14.02.2000 के आदेश की पालना में न्यायालय में उपस्थित होकर मूल वाद के पक्षकारान के वर्तमान कायम मुकामान की स्थिति अथवा प्रभावित पक्षकारान की स्थिति सात दिवस में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2017 को न्याय आपके द्वार फॉलोअप कोर्ट केम्प फागी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)